(36)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 1297–एक/17 विरुद्ध आदेश दिनांक 23.03.2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी प्रकरण कमांक 84/2011–12/अपील

---

1. ऊधम सिंह पुत्र लालाराम यादव
2. मदन सिंह पुत्र लालाराम यादव
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र बादाम सिंह
4. अजब सिंह पुत्र बादाम सिंह

सभी निवासीगण ग्राम काली पहाड़ी जराय
तह0 पिछोर जिला शिवपुरी (म0प्र0) .....**आवेदकगण**

विरुद्ध

1. बाबूलाल पुत्र मसलती यादव
2. जसवंत सिंह पुत्र बाबूलाल यादव
3. के.पी. सिंह पुत्र बाबूलाल यादव
4. दुल्हाजू पुत्र बाबूलाल यादव
5. शंकर सिंह पुत्र बाबूलाल यादव
6. विनोद सिंह पुत्र संतोक सिंह यादव
7. जीतू पुत्र संतोक सिंह यादव
8. दयाराम पुत्र किशोरी पाल

सभी निवासीगण ग्राम काली पहाड़ी जराय
तह0 पिछोर जिला शिवपुरी (म0प्र0) .....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव

अनावेदक क्र. 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर एवं अना0 क. 8 एकपक्षीय है।

आदेश
(आज दिनांक 20/02/2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 84/2011–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 23.03.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है। आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने यह मानते हुए कि उनके समक्ष अपीलान्ट भुवानी सिंह की मृत्यु होने का तथ्य राजस्व मण्डल में स्वीकार हो चुका है तथा उनके वारिसान प्रकरण में सम्मिलित हो चुके हैं। अतः पृथके से आदेश 1 नियम 10 के आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

3/ प्रकरण में दोनों पक्षों को लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया था, परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अभिलेख का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आलोच्य आदेश द्वारा इस आधार पर कि भुवानी सिंह की मृत्यु होने का तथ्य राजस्व मण्डल में स्वीकार हो चुका है और उनके वारिस प्रकरण में सम्मिलित हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में पृथक से आदेश 1 नियम 10 के आवेदन की आवश्यकता प्रतीत न होना मानते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित एवं न्यायिक है, क्योंकि पूर्व में आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी 4187–तीन/2014 आदेश दिनांक 14.07.2016 में भुवानी सिंह के स्थान पर उनके वारिसों का नाम स्थापित हो चुका है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। आवेदक द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत करना यह दर्शाता है कि वो जान–बूझकर प्रकरण का निराकरण नहीं होने देना चाह रहे हैं। परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी

को यह निर्देश दिए जाते हैं कि उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर आदेश प्राप्ति से तीन माह के अंदर प्रकरण का निराकरण करें।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर